न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 05, मथुरा

सत्र वाद सं० 390/2017

राज्य बनाम शाहिद

मु०अ०सं० 178/2016

धारा 147,148,149,307 भा०दं०सं०

थाना शेरगढ़, जिला मथुरा।

आरोप

मैं अमरपाल सिंह अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 05 मथुरा आप अभियुक्त शाहिद पर निम्न आरोप लगाता हूं:-

1- यह कि दिनांक 03-08-2016 को समय करीब 16.45 बजे स्थान विशम्भरा से सहजादपुर रोड पर जय माता दी ईंट भट्टा के पास, थाना शेरगढ़, जिला मथुरा के अंतर्गत आप अभियुक्त शाहिद द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने के सामान्य उद्देश्य के साथ स्वाट टीम प्रभारी एस०आई० श्री हरीशवर्धन सिंह, कां० सवलेन्द्र यादव, कां० विवेक कुमार, कां० अरूण कुमार सिंह चालक सत्यपान सिंह, एस०एच०ओ० छोटेलाल यादव, एस०एस०आई० श्री जगदीश प्रसाद, एस०आई० श्री सुभाष चन्द्र यादव, कां० प्रवीण कुमार, कां० सतीश चन्द्र, कां०मुमताज अली व कां० विशाल मय चालक सरकारी गाड़ी बेलोरो नं०यू०पी० 85 ए०जी० 0243 राजेश कुमार पर एकराय होकर विरूद्ध जमाव करते हुए फायरिंग की गयी। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 147 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त शाहिद द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घातक आयुधों से सुसज्जित होकर विधि विरूद्ध जमाव करते हुए उपरोक्त स्वाट टीम व अन्य पुलिस कर्मचारियों की हत्या करने के लिये बल्वा कारित किया। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 148 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3- यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एक राय होकर वादीगण स्वाट टीम प्रभारी एस०आई० श्री हरीशवर्धन सिंह व उनके अन्य साथियों को सामान्य उद्देश्य की पूर्ति में इस आशय, ज्ञान व परिस्थितियों में घातक आयुधों से फायर किये कि यदि उससे किसी भी वादीगण की मृतयु हो जाती तो आप हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपके द्वारा धारा 307/149 भा०दं०सं० के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद् द्वारा आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त आरोप के लिए आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा।

(अमरपाल सिंह)

दिनांक 26-05-2017 अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं० 05, मथुरा।

आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया एवं विचारण चाहा।

(अमरपाल सिंह)

दिनांक 26-05-2017 अपर सत्र न्यायाधीश,

न्यायालय सं० 05, मथुरा।